

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 154/18
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 17.5/18


:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री जानकामा अ. वगेरा पि. रमती

जति हीरा उम्र नि० मोजाता तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत मोजाता दिनांक 17.5.18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०२०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा मोजाता पंचायत समिति दोबडा में स्थित खाता संख्या 70 पर आराजी नं० 9923 कुल 01 बीघा 02 बिस्वा किता 1 योग रकबा 1.02 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी जानकामा पि. रमती नि० मोजाता ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम मोजाता के खसरा नं० 1122 रकबा 00 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 12 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा मोजाता में स्थित खाता संख्या 70 पर आराजी नं० 1123 रकबा 1.02 कुल किता 1 कुल रकबा 1.02 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा मोजाता में स्थित खाता संख्या 70 पर आराजी नं० 1122 रकबा 1.02 बिस्वा 2 कुल किता 1 कुल रकबा 1.02 में विवादग्रस्त सीमा असमती की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 5000/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर